विविध बैंक प्रकरण सं. 68/2018 (RCMS 2018/00135) कॉर्पोरेशन बैंक, नेतेवाला, श्रीगंगानगर बनाम 1 मैसर्स श्री श्याम डिस्ट्रीब्यूटर्स, निवासी 34 पब्लिक पार्क, रूकमणी कॉम्पलेक्स, श्रीगंगानगर 2. श्री सुनील कुमार पुत्र बनवारी लाल निवासी वार्ड नं. 02, गली नं. 01, वीपीओ नेतेवाला, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.01.2021

**पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी** बैंक के प्राधिकारी कार्यकर्त्ता श्री भागचन्द आज उपस्थित नहीं हुए।

**मैने पत्रावली का अवलोकन** किया तो पाया कि प्रार्थी कॉरपोरशन बैंक द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 30.07.2018 को प्रस्तुत करके **अप्रार्थीगण** मै. श्री श्याम डिस्ट्रीब्यूटर्स को 10.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये दस लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 02.03.2016 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी गारंटर बनवारी लाल की उक्त अचल सम्पत्ति आवासीय सम्पत्ति पट्टा नं. 25, नेतेवाला जिला श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक **13.12.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 10.01.2018 को जारी किये गये है तथा दिनांक 09.01.2018 को पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है,** जिसकी रसीद की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है, अप्रार्थी सुनील कुमार की रसीद पर स्वयं के हस्ताक्षर है तथा बनवारी लाल की रसीद पर किसी अन्य के हस्ताक्षर है जिससे अप्रार्थी बनवारी लाल को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी **सम्पत्ति** आवासीय सम्पत्ति पट्टा नं. 25, नेतेवाला जिला श्रीगंगानगर **जो ऋणी बनवारी लाल के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है,** का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

**जहां तक धारा 13(2) के जारी** नोटिस 10.01.2018 की तामील का प्रश्न है। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राशि वसूली हेतु धारा 13(2) का नोटिस नियमानुसार जारी किया है।** प्रार्थना पत्र के संलग्न पोस्ट ऑफिस की रसीद के अनुसार दिनांक 09.01.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस ऋणी श्री श्याम डिस्ट्रीब्यूटर्स — प्रो. सुनील कुमार एवं बनवारी लाल को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 09.01.2018 को जारी किये गये है, जो उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 10.01.2018 को जारी किये गये है एवं रजिस्टर्ड से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

दिनांक 09.01.2018 को भिजवाना संभव नहीं है तथा अप्रार्थी बनवारी लाल को जारी 13(2) के नोटिस की प्राप्ति रसीद पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर है। जिस कारण अप्रार्थी बनवारी लाल को धारा 13(2) के नोटिस की तामिल नहीं होने एवं **धारा 13(2) नोटिस दिनांक 10.01.2018 को जारी होकर दिनांक 09.01.2018 को भिजवाये गये है,** जो संभव नहीं है, इस कारण बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार करने योग्य नहीं है।

**अतः प्रार्थी कॉर्पोरेशन बैंक** का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2018 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 खारिज किया जाता** है। प्रार्थी बैंक नये सिरे से वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार पुनः अप्रार्थीगण के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही कर प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:33 IST
Reason: SelfAttested